



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना मंडावर

दिनांक- 12.07.2025

थाना मण्डावर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त को एक अवैध तमन्चे सहित गिरफ्तार किया गया ।

कार्यवाही विवरण:-

आज दिनांक 07/12/2025 को थाना मंडावर पुलिस टीम द्वारा बालावाली बैरियर पर चेकिंग के दौरान बाइक बजाज सिटी 100 नं० UK17D8390 पर सवार जव्वाद पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम सुठारी नहदपुर थाना लक्सर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) को एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । अवैध शस्त्र बरामदगी के संबंध में थाना मण्डावर पर मु०अ०सं० 272/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा उपरोक्त मोटर साईकिल को धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज किया गया ।



गिरफ्तार अभियुक्त:-

जव्वाद पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम सुठारी नहदपुर थाना लक्सर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) ।

बरामदगी विवरण-

01 अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री आदेश कुमार थाना मण्डावर बिजनौर
- 2-हे०का० 610 सुशील मलिक थाना मण्डावर बिजनौर
- 3-का० 1008 नीरज कुमार थाना मण्डावर बिजनौर
- 4-का० 78 भगत सिंह थाना मण्डावर बिजनौर
- 5-होमगार्ड 1171 सतपाल थाना मण्डावर बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना चांदपुर

दिनांक 07.12.2025

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण –

जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन अथवा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.12.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभि जितेन्द्र कुमार पुत्र हरकेश निवासी ग्राम पाराखालसा थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार । बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 697/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।



अभियुक्त का नाम पता –

जितेन्द्र कुमार पुत्र हरकेश निवासी ग्राम पाराखालसा थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा

बरामद माल का विवरण-

1. एक अवैध चाकू

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 298/23 धारा 379,411,414 भादवि0 थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा
2. मु0अ0स0 522/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा
3. मु0अ0स0 555/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा
4. मु0अ0स0 196/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा
5. मु0अ0स0 697/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 हरस्वरूप शर्मा थाना चांदपुर बिजनौर ।
2. का0 668 राजकुमार थाना चांदपुर बिजनौर ।



प्रेस नोट

थाना नांगल जनपद बिजनौर

दिनांक 07.12.2025

थाना नांगल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 163/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबन्धित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 06.12.2025 को वादी श्री अवनीत कुमार पुत्र मुन्नु सिंह निवासी ग्राम शहजादपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर ने थाना नांगल पर तहरीर दी कि उसके खेतों के नलकूपों से किसी अज्ञात व्यक्ति ने केबिल चोरी कर लिये हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0-163/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त समीर पुत्र ताहिर उर्फ टेनी निवासी ग्राम व थाना नांगल जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।



कार्यवाही-

आज दिनांक 07.12.2025 को थाना नांगल पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबन्धित अभियुक्त समीर पुत्र ताहिर उर्फ टेनी निवासी ग्राम व थाना नांगल जनपद बिजनौर को चोरी किये गये केबिल के चार टुकड़ों सहित गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

अभियुक्त समीर पुत्र ताहिर उर्फ टेनी निवासी ग्राम नांगल व थाना नांगल जनपद बिजनौर

बरामदगी-

चोरी किये गये केबिल के चार टुकड़े

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह थाना नांगल जनपद बिजनौर
- 2.का 1074 राजीव थाना नांगल जनपद बिजनौर
- 3.का0 167 आमिर थाना नांगल जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक - 07.12.2025

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.12.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 06 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1.	रेहड़	1.रहीश पुत्र हनीफ निवासी ग्राम मौहल्ला चांद मस्जिद के पास कस्बा व थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड ।
2.	स्योहारा	1.मुकेश कुमार पुत्र भोपाल सिंह नि० ग्राम सबदलपुर थाना स्योहारा जिला बिजनौर ।
3.	धामपुर	1.सोनू पुत्र लल्लू निवासी परमावाला थाना धामपुर जिला बिजनौर 2.विरेन्द्र पुत्र कृपाल सिंह निवासी सरकडा चकराजमल थाना धामपुर जिला बिजनौर 3.मस्ता पुत्र घसीटा निवासी ग्राम हताई शेख थाना धामपुर जिला बिजनौर 4.आदिल पुत्र तसलीम निवासी हथाई शेख थाना धामपुर जिला बिजनौर

थाना रेहड़



थाना स्योहारा



थाना धामपुर





प्रेस नोट

थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

दिनांक 07.12.2025

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 165/25 धारा 87/61(2)/70(1)/127(2)/142/61(2)/87 बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 29.04.2025 को वादिया ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्त शोएब पुत्र चाँद निवासी ग्राम फैजुल्लापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर, उसकी पुत्री को बहला-फुसला कर अपने साथी अभियुक्तगण 1.गुल्लू पुत्र चाँद 2.अरुण पुत्र सरजू 3.समीर पुत्र सुनील 4.संजय पुत्र फत्ते निवासीगण उपरोक्त के सहयोग से अपने साथ ले गया है ।



इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0स0 165/25 धारा 87/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया तथा धारा 70(1)/127(2)/142/61(2)/87 बीएनएस की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही-

आज दिनांक 07.12.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण 1-शोएब पुत्र चान्द 2-गोलू उर्फ गुल्लू पुत्र चान्द 3-अरुण पुत्र सरजू निवासीगण ग्राम फैजुल्लापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1.शोएब पुत्र चान्द सिंह निवासी ग्राम फैजुल्लापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.गोलू उर्फ गुल्लू पुत्र चान्द निवासी ग्राम फैजुल्लापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3.अरुण पुत्र सरजू निवासी ग्राम फैजुल्लापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री हरिओम सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3. हे0का0 चालक – सतेन्द्र सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 4.का0 1849 मोनू खरव थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 5.का0 310 बबलू थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



**जनपद बिजनौर
प्रेस नोट - थाना स्योहारा**

दिनांक 07.12.2025

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 459/25 धारा 69/351(2)/319(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.12.2025 को वादिया द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्त फैजान पुत्र नामालूम नि0 ग्राम खुडाहेडी थाना मण्डावर जनपद बिजनौर द्वारा अपनी पहचान छुपाकर वादिया को शादी का झांसा देकर गलत कार्य किया गया व वादिया द्वारा मना करने पर फोटो वायरल करने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0स0 459/25 धारा 69/351(2)/319(2) बीएनएस पंजीकृत किया।



कार्यवाही-

आज दिनांक 07.12.2025 को उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फैजान पुत्र अहमद निवासी ग्राम खुडाहेडी थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

फैजान पुत्र अहमद नि0 ग्राम खुडाहेडी थाना मण्डावर जिला बिजनौर

आपराधिक इतिहास :-

मुकदमा अपराध संख्या - 459/25 धारा 69/351(2)/319(2) बीएनएस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 राजेश कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
3. उ0नि0 प्रदीप कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
4. उ0नि0 प्रमोद शर्मा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
5. है0का0 297 नीटू राणा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
6. हे0का0 193 राजू दिवाकर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
7. का0 1999 सतपाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
8. का0 1849 मोनू थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।



—प्रेस नोट—

रिजर्व पुलिस लाइन्स बिजनौर

दिनांक 07.12.2024

रिजर्व पुलिस लाइन्स, जनपद बिजनौर में होम्योपैथिक चिकित्सा परामर्श एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन

वामा सारथी उ०प्र० पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयुष विभाग, उ०प्र० की सहभागिता से वामा वेलनेस कैम्प के अन्तर्गत होम्योपैथिक चिकित्सा परामर्श एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन वामा सारथी अध्यक्ष श्रीमती रिया झा पत्नी श्री अभिषेक पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन्स, बिजनौर में आज दिनांक 07.12.2025 को समय 09:00 बजे से 13:00 बजे तक किया। जिसमें पुलिस परिवार की 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को निशुल्क स्त्री रोग परामर्श एवं पैप स्मीयर व मैमोग्राम टेस्ट कराये जाने हेतु स्वास्थ्य परीक्षण कूपन कार्ड जिसकी वैधता 31 मार्च 2026 तक है, भी वितरित किये गये। कार्यक्रम में 90 लाभान्वितों ने शिविर का लाभ उठाया। जिसमें 40 वर्ष से अधिक उम्र की 20 महिलाओं को स्वास्थ्य परीक्षण कूपन कार्ड वितरित किये गये।

रिजर्व पुलिस लाइन्स, बिजनौर में होम्योपैथिक चिकित्सा परामर्श एवं दवा वितरण शिविर के आयोजन में सुश्री आकांक्षा गौतम, क्षेत्राधिकारी अपराध, श्री देवेन्द्र सिंह सिकरवार, प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन्स, बिजनौर, श्री अशोक तोमर उ०नि० स०पु०, डॉ० तैय्यब, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, श्री विकास फार्मासिस्ट तथा श्री प्रमोद वार्डबाय उपस्थित रहे।